सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001
Phone No.: 0522-2630878, e-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 196 /सो.आ.नि.-3/590/2025
दिनाँकः 05 मई, 2025

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

विषयः Scale-up the implementation of the Real-time , Geo-tagged and Time-Stamped photos of Social Audit Gram Sabha through integration between NREGASoft (Social Audit MIS) & Panchayat Nirnay App

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 04/04/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रथम फेज में प्रत्येक विकासखण्ड की 01 ग्राम पंचायत की सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक को पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा सम्पन्न कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रथम फेज में सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक को पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा सम्पन्न किये जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तावित की जा रही है, जिससे सुगमता पूर्वक पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न की जा सके। निदेशालय के पत्रांक 1652, दिनांक 12/03/2025 द्वारा प्रदेश के 73 जनपदों (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर) में वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम चरण में सोशल आडिट किये जाने हेतु महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट कैलेण्डर निर्गत किया जा चुका है।

2- पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न किये जाने हेतु जिन जनपदों में सोशल आडिट प्रारम्भ हो चुका है, उन जनपदों में प्रत्येक विकासखण्ड की 01 ग्राम पंचायत में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

- दिनांक 09/05/2025 को 01 ग्राम पंचायत में प्रस्तावित सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा सम्पन्न की जायेगी। उक्त ग्राम सभा की बैठक में जिला सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर (DSAC) द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा, जिससे DSAC

को पंचायत निर्णय ऐप का व्यावहारिक ज्ञान हो सके और आगे की तिथियों में पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा प्रस्तावित सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सुचारू रूप से पूर्ण की जा सके।

उदाहरण-01:- (यदि जनपद में 04 विकासखण्ड में सोशल आडिट किया जा रहा हो।)	
	दिनांक 09/05/2025 को 01 ग्राम पंचायत
	दिनांक 15/05/2025 अथवा 16/05/2025 को 01 ग्राम पंचायत
	दिनांक 20/05/2025 को 02 ग्राम पंचायत
इस तरह जनपद के 04 विकासखण्ड जहाँ सोशल आडिट किया जा रहा है, उन सभी विकासखण्डों की 01 ग्राम पंचायत में पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हो जाएगी।	

उदाहरण-02:- (यदि जनपद में 05 विकासखण्ड में सोशल आडिट किया जा रहा हो।)	
	दिनांक 09/05/2025 को 01 ग्राम पंचायत
	दिनांक 15/05/2025 अथवा 16/05/2025 को 02 ग्राम पंचायत
	दिनांक 20/05/2025 को 02 ग्राम पंचायत
इस तरह जनपद के 05 विकासखण्ड जहाँ सोशल आडिट किया जा रहा है, उन सभी विकासखण्डों की 01 ग्राम पंचायत में पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हो जाएगी।	

3- पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न किये जाने हेतु जिन जनपदों में बी०आर०पी० पैनल तैयार न हो पाने के कारण सोशल आडिट प्रारम्भ नहीं हो सका है, उन जनपदों में प्राथमिकता पर बी०आर०पी० पैनल तैयार कर सोशल आडिट प्रारम्भ किया जाना अपेक्षित है, जिससे भारत सरकार के निर्देशानुसार पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड की 01 ग्राम पंचायत में सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न की जा सके। उक्त जनपदों में सोशल आडिट प्रारम्भ होने पर प्रत्येक विकासखण्ड की 01 ग्राम पंचायत का चयन करते हुये पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न की जायेगी। जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड की 01 ग्राम पंचायत में DSAC द्वारा प्रतिभाग करते हुए पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न करायी जाएगी। तत्समय उपलब्ध सोशल आडिट ग्राम सभा की तिथि को ध्यान में रखते हुये उपर्युक्तानुसार ग्राम पंचायतों का निर्धारण करते हुये कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

4- पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक किये जाने हेतु चयनित ग्राम पंचायत, सोशल आडिट को फैसिलिटेट कर रहे ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर (BSAC)/ ब्लाक संसाधन व्यक्ति (BRP) एवं सोशल आडिट टीम सदस्यों (VRP) को महात्मा गांधी नरेगा वेबसाइट पर मार्क किया जायेगा, जिससे सम्बन्धित BSAC/BRP द्वारा पंचायत निर्णय ऐप पर लॉग-इन करते हुये कार्यवाही की जा सके।

चयनित ग्राम पंचायत के BSAC/BRP को सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक से पूर्व निदेशालय से प्रशिक्षण दिया जायेगा। जनपद स्तर से ग्राम पंचातयों का चयन करते हुये सूचना निम्न प्रारूप पर 02 कार्यदिवसों में निदेशालय को उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।

विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	सोशल आडिट ग्राम सभा की तिथि	मोबाइल फ्रेंडली BSAC/BRP का नाम	मोबाइल नंबर	सोशल आडिट टीम सदस्य का नाम	मोबाइल नंबर
1	2	3	4	5	6	7

5- अतः अनुरोध है कि माह मई में सोशल आडिट किये जाने हेतु प्रस्तावित विकासखण्ड की 01 ग्राम पंचायत में पंचायत निर्णय ऐप के द्वारा सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य रूप से किये जाने तथा सोशल ऑडिट ग्राम सभा की बैठक में मनरेगा श्रमिकों सहित सभी हितधारकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार की अपेक्षानुसार कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

Signed by
Kamlesh Kumar
Date: 05-05-2025 13:54:23

(कमलेश कुमार)
निदेशक

<u>प्रतिलिपिः-</u> निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास (अनुभाग-06), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर), उ०प्र० को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)
निदेशक